उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या—26 —पें0एवंआर0—28/पाकालि/2018—01—पें0एवंआर/2014, दिनांक 08 जनवरी, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
पष्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं
केस्को, कानपुर

विषय : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सहयोगी वितरण निगमों एवं केस्को के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में विभिन्न कर्मचारी संगठनों एवं पेंशनर्स संगठनों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंषन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) जारी किये जाने हेतु पेंशन स्वीकृति के प्रशासनिक आदेश नियमित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता अधिकारी के स्तर पर पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) जारी करने में अनावश्यक बिलम्ब की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

उक्त के सम्बन्ध में पेंशन नियमों एवं पेंशन के प्रभावी आदेशों के अनुसार पेंशन भुगतान आदेश जारी कराये जाने हेतु पेंशन स्वीकृति के प्रशासनिक आदेश/अनुमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिक/मृत कार्मिक के नियुक्त अधिकारी के स्तर से जारी कराया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में नियमित एवं शीघ्र कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में यह अनुरोध है कि सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान हेतु पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) जारी कराये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में पेंशन स्वीकृत के प्रशासनिक आदेश/अनुमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र उनके नियुक्त अधिकारी के स्तर से जारी करके पेंशन प्रपत्रों के साथ पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। यह प्रशासनिक आदेश/अनुमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व नियुक्त अधिकारी स्तर से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सेवानिवृत्त कार्मिक के विरूद्व कोई विभागीय/न्यायिक कार्यवाही या प्रशासनिक जॉच आदि लम्बित न हों।

सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के ऐसे प्रकरण जिनमें उनके विरूद्व कोई विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाही लम्बित हो उन मामलों में 06 माह हेतु अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति के प्रशासनिक आदेश/अनुमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जायें तथा 06 माह में विभागीय जॉच या प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण कराकर पेंशन को अन्तिम रूप से स्वीकृत कर दिया जाए। मा0 न्यायालयों में लम्बित न्यायिक कार्यवाही से सम्बन्धित मामलों में अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति के प्रशासनिक आदेश में कोर्ट केस के विवरण का उल्लेख करते हुए प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक के लिए अनन्तिम पेंशन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाए।

कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों से उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमशः

संख्या–26(।)पें0एण्डआर0–28/पाकालि/18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
3. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉ।
5. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. कट फाईल।

आज्ञा से,

08/01/19

(सैयद आरिफ हैदर)

अनु सचिव (पें0एवंआर0)